कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति आष्टा
जिला–सीहोर म.प्र.

mpapmcashta@gmail.com

☎07560-242166

क./मंडी/निर्माण/17–18/ 2880 आष्टा, दिनांक 25 जनवरी 2018

//केंटीन,पानदुकान(गुमठी)नीलामी विज्ञप्ति//

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति आष्टा में निर्मित केंटीन एवं पानदुकान(गुमठी)स्थल की खुली नीलामी वार्षिक किराया राशि के आधार पर की जाना है।

अतः इच्छुक व्यक्ति/संस्था/फर्म कालम नं. 04 में दर्शित अमानत(धरोहर)राशि जो कि एफ.डी.आर.के रूपमें (न्यूनतम 3 वर्ष की समयावधि हेतु)कृषि उपज मंडी समिति आष्टा के नाम से एकाउन्टफार हो दिनांक 20/02/2018 को सांयकाल 5.30बजे तक निर्धारित आवेदन पत्र के साथ मंडी कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। केंटीन एवं पानदुकान की खुली नीलामी दिनांक 21/02/2018 को दोपहर 2.00बजे से मंडी कार्यालय के सभा कक्ष में की जावेगी। खुली नीलामी में नियत दिनांक तक प्रस्तुत आवेदनकर्त्ता ही भाग लेने के पात्र होगें।

क्र.	भूमि तथा संरचना का नाम	न्यूनतम किराया वार्षिक	अमानत राशि	आवंटन अवधि
01	02	03	04	05
01	केंटीन	265000/–	50000/–	03 वर्ष
02	पान दुकान (गुमठी)रखने हेतु 2X 2.5 वर्गमीटर स्थान	121000/–	15000/–	03 वर्ष

निर्धारित विस्तृत शर्तो का अवलोकन कार्य दिवस में मंडी कार्यालय में किया जाकर निर्धारित आवेदन फार्म प्राप्त किये जा सकते है,जो विज्ञप्ति का ही एक भाग होगें।

(किशोर माहेश्वरी)
सहायक संचालक/सचिव,
कृषि उपज मंडी समिति आष्टा
जिला–सीहोर, म.प्र.

(धरमसिंह आर्य)
अध्यक्ष,
कृषि उपज मंडी समिति आष्टा
जिला–सीहोर, म.प्र.

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति आष्टा जिला–सीहोर म.प्र.
केंटीन ठेके पर देने संबंधी शर्ते

1. मंडी समिति में स्थित केंटीन संचालन हेतु साधारण इच्छुक व्यक्तियों/संस्थाओं को खुली नीलामी के माध्यम से किराये राशि की बोली पर दी जायेगी। केंटीन हेतु न्यूनतम वार्षिक किराया 265000/– (अंकन दो लाख पैसठ हजार रूपये)वार्षिक रहेगा। न्यूनतम किराया से अधिक की बोली ही स्वीकृत योग्य होगी।
2. केंटीन हेतु इच्छुक आवेदक को 50000/–(अंकन पचास हजार रूपये) प्रतिभूति के तौर पर एफ.डी. आर.(जो कि 3 वर्ष की समयावधि से कम की न हो)कृषि उपज मंडी समिति आष्टा के नाम से एकाउन्टफार की जाकर आवेदन के साथ नियत दिनांक२१/२/2018 को सांयकाल 5.30बजे तक जमा कराना अनिवार्य होगा।
3. केंटीन नीलामी में केवल ऐसे आवेदक ही भाग लेने के पात्र होगें, जिनके द्वारा अपने आवेदन एवं अमानत(धरोहर)राशि की एफ.डी.आर. नियत दिनांक तक कार्यालय में प्रस्तुत की गयी हो।
4. ठेके की अवधि 03 वर्ष रहेगी एवं यह अवधि कार्य के मूल्यांकन तथा आपसी सहमति के आधार पर अधिकतम एक एक वर्ष बढ़ाई जा सकेगी।
5. केंटीन हेतु प्राप्त अधिकतम् वार्षिक किराया बोलीदार को बोली स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने के 7 दिवस के अन्दर एक वर्ष की राशि अग्रिम जमा करायी जाना होगी तथा आधिपत्य प्राप्ति से पूर्व स्वयं के व्यय पर मंडी समिति के पक्ष में नॉन ज्यूडिशल स्टाम्प पर पंजीकृत किरायेदारी अनुबंध निष्पादन करना होगा। तथा शेष समयावधि तक प्रतिवर्ष बोली राशि अग्रिम जमा करायी जावेगी।
6. द्वितीय बोलीदार की जमा राशि सफल बोलीदार द्वारा अनुबंध निष्पादित करने के पश्चात् वापस की जावेगी।
7. ठेका जिस व्यक्ति के नाम आंवटित होगा वह अन्य किसी व्यक्ति को हस्तांतरण नहीं कर सकेगा।
8. विद्युत एवं जल की व्यवस्था ठेकेदार को अपने स्वयं के व्यय से करना होगी। यदि ठेकेदार इसका लाभ मंडी समिति से प्राप्त करना चाहते है तो मंडी समिति द्वारा विद्युत पर होने वाले आगामी 06 माह का आकलन कर राशि अग्रिम के रूप में जमा कराने के उपरांत ही कनेक्शन दिया जावेगा। बिल की राशि प्रत्येक माह की 05 तारीख जक जमा करना आवश्यक होगी, अन्यथा कनेक्शन विच्छेद कर दिया जावेगा। जमा करायी गयी अग्रिम राशि अनुबंध की समाप्ति पश्चात विद्युत व्यय का समायोजन करते हुए शेष राशि ठेकेदार को वापस की जायेगी।
9. ठेकेदार एवं अधिनस्थ कार्यरत सेवकों को मंडी समिति द्वारा प्रसारित आदेश एवं मंडी अधिनियम एवं उपविधि के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा। अवहेलना करने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा।
10. केंटीन ठेका स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार मंडी समिति को रहेगा। मंडी समिति किसी भी समय ठेके को निरस्त करने के लिये सक्षम होगीं।
11. किसी भी प्रकार के विवाद को निपटाने का अधिकार मंडी समिति को रहेगा जो ठेकेदार पर बंधनकारी होगें।
12. किसी भी शर्त में कमी/वृद्धि अथवा फेरबदल करने का अधिकार मंडी समिति को रहेगा जो सभी को मान्य रहेगा।
13. केंटीन स्थल में साफ–सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा जिसकी जिम्मेदारी संचालनकर्ता की होगी। विक्रय सामग्री की गुणवत्ता की संपूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की रहेगी तथा सामग्री संबंधी किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
14. केंटीन ठेका हेतु आवेदकों को अच्छे चाल चलन का प्रमाण–पत्र पुलिस थाना से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
15. राज्य शासन/मंडी बोर्ड/मंडी समिति द्वारा जारी आदेश निर्णय संशोधनो का पालन ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से किया जावेगा।
16. सफल बोलीदार को केंटीन संचालन से संबंधित समस्त शासकीय अनुज्ञप्तियें/दस्तावेजों की छायाप्रतियॉ कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी।
17. शासन द्वारा प्राप्त किये जाने वाले सर्विस टेक्स की राशि का भुगतान ठेकेदार का पृथक से मंडी समिति में किराये के साथ जमा कराया जाना होगा।

अनुमोदित

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति आष्टा
जिला सीहोर (म.प्र.)

अध्यक्ष
कृषि उपज मंडी समिति

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति आष्टा जिला–सीहोर म.प्र.

पानदुकान ठेके पर देने संबंधी शर्ते

1. मंडी समिति में स्थित पानदुकान संचालन हेतु साधारण इच्छुक व्यक्तियों/संस्थाओं को खुली नीलामी के माध्यम से किराये राशि की बोली पर दी जायेगी। पानदुकान संचालन हेतु न्यूनतम वार्षिक किराया 121000/–(अंकन एक लाख इक्कीस हजार रूपये) वार्षिक रहेगा। न्यूनतम किराया से अधिक की बोली ही स्वीकृत योग्य होगी।
2. पानदुकान संचालन हेतु इच्छुक आवेदक को 15000/–(अंकन राशि पन्द्रह हजार रूपये मात्र) प्रतिभूति के तौर पर एफ.डी.आर.(जो कि 3 वर्ष की समयावधि से कम की न हो)कृषि उपज मंडी समिति आष्टा के नाम से एकाउन्टफार की जाकर आवेदन के साथ नियत दिनांक२०/२/2018 को सांयकाल 5.30बजे तक जमा कराना अनिवार्य होगा।
3. पानदुकान नीलामी में केवल ऐसे आवेदक ही भाग लेने के पात्र होगें, जिनके द्वारा अपने आवेदन एवं अमानत(धरोहर)राशि की एफ.डी.आर. नियत दिनांक तक कार्यालय में प्रस्तुत की गयी हो।
4. ठेके की अवधि 03 वर्ष रहेगी एवं यह अवधि कार्य के मूल्यांकन तथा आपसी सहमति के आधार पर अधिकतम एक एक वर्ष बढ़ाई जा सकेगी।
5. पानदुकान संचालन हेतु प्राप्त अधिकतम् वार्षिक किराया बोलीदार को बोली स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने के 7 दिवस के अंदर एक वर्ष की राशि अग्रिम जमा करायी जाना होगी तथा आधिपत्य प्राप्ति से पूर्व स्वयं के व्यय पर मंडी समिति के पक्ष में नॉन ज्यूडिशल स्टाम्प पर पंजीकृत किरायेदारी अनुबंध निष्पादन करना होगा। तथा शेष समयावधि तक प्रतिवर्ष बोली राशि अग्रिम जमा करायी जावेगी।
6. द्वितीय बोलीदार की जमा राशि सफल बोलीदार द्वारा अनुबंध निष्पादित करने के पश्चात् वापस की जावेगी।
7. ठेका जिस व्यक्ति के नाम आंवटित होगा वह अन्य किसी व्यक्ति को हस्तांतरण नहीं कर सकेगा।
8. विद्युत एवं जल की व्यवस्था ठेकेदार को अपने स्वयं के व्यय से करना होगी। यदि ठेकेदार इसका लाभ मंडी समिति से प्राप्त करना चाहते है तो मंडी समिति द्वारा विद्युत पर होने वाले आगामी 06 माह का आकलन कर राशि अग्रिम के रूप में जमा कराने के उपरांत ही कनेक्शन दिया जावेगा। बिल की राशि प्रत्येक माह की 05 तारीख जक जमा करना आवश्यक होगी, अन्यथा कनेक्शन विच्छेद कर दिया जावेगा। जमा करायी गयी अग्रिम राशि अनुबंध की समाप्ति पश्चात विद्युत व्यय का समायोजन करते हुए शेष राशि ठेकेदार को वापस की जायेगी।
9. ठेकेदार एवं अधिनस्थ कार्यरत सेवकों को मंडी समिति द्वारा प्रसारित आदेश एवं मंडी अधिनियम एवं उपविधि के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा। अवहेलना करने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा।
10. पानदुकान ठेका स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार मंडी समिति को रहेगा। मंडी समिति किसी भी समय ठेके को निरस्त करने के लिये सक्षम होगीं।
11. किसी भी प्रकार के विवाद को निपटाने का अधिकार मंडी समिति को रहेगा जो ठेकेदार पर बंधनकारी होगें।
12. किसी भी शर्त में कमी/वृद्धि अथवा फेरबदल करने का अधिकार मंडी समिति को रहेगा जो सभी को मान्य रहेगा।
13. पान दुकान स्थल में साफ–सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा जिसकी जिम्मेदारी संचालनकर्ता की होगी। विक्रय सामग्री की गुणवत्ता की संपूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की रहेगी।
14. पान दुकान ठेका हेतु आवेदकों को अच्छे चाल चलन का प्रमाण–पत्र पुलिस थाना से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
15. राज्य शासन/मंडी बोर्ड/मंडी समिति द्वारा जारी आदेश निर्णय संशोधनो का पालन ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से किया जावेगा।
16. सफल बोलीदार को पानदुकान संचालन से संबंधित समस्त शासकीय अनुज्ञप्तियें/दस्तावेजों की छायाप्रतियॉ कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी।
17. शासन द्वारा प्राप्त किये जाने वाले सर्विस टेक्स की राशि का भुगतान ठेकेदार का पृथक से मंडी समिति में किराये के साथ जमा कराया जाना होगा।

अनुमोदित

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति आष्टा
जिला सीहोर (म.प्र.)

अध्यक्ष
कृषि उपज मंडी समिति